दिनांक 07.06.2018 को माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पैकेज से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

1. प्रधानमंत्री पैकेज में गोदाम निर्माण का मद शामिल है। इसी क्रम में माननीय मंत्री महोदय ने यह जानना चाहा कि राज्य के 38 जिलों में खाद्यान्न भंडारण हेतु कहाँ–कहाँ गोदाम की जरूरत है?
2. प्रभारी पदाधिकारी, शिक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि ज्यादातर स्टोरेज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग के द्वारा बनाया गया है। पैक्स एवं केन्द्रीय एजेसियों–C.W.C. तथा FCI के द्वारा गोदाम का निर्माण किया जाता है। उन्होंने बताया कि नोडल एजेंसी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निजी उद्यमियों के माध्यम से गोदाम निर्माण के लिए ''हिन्दुस्तान'' सामाचार पत्र में एक निविदा प्रकाशित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मार्केट यार्ड की जमीन को गोदाम बनाने हेतु दिया गया था। अब मार्केट यार्ड की जमीन नहीं दी जा रही है। भविष्य में मार्केट यार्ड की जमीन गोदाम बनाने के लिए दिया जायेगा तो उसमें यह शर्त शामिल किया जायेगा कि गोदाम का उपयोग सिर्फ खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए ही किया जायेगा।
3. किसानों को सिंचाई की समुचित सुविधा बहाल कराने हेतु तीनों विभाग यथा–जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग से राय लेने का निदेश दिया गया।
4. प्रभारी पदाधिकारी, शिक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री पैकेज के अधीन कृषि यांत्रिकरण का प्रोजेक्ट कृषि निदेशक द्वारा भारत सरकार को भेजा गया हैं। सिंचाई योजना का प्रोजेक्ट जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।
5. समीक्षा के क्रम में सुझाव दिया गया कि सूक्ष्म सिंचाई की योजना कृषि विभाग द्वारा ही चलाया जायेंगा। सिंचाई हेतु बड़ी–बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा।
6. जिन जिलों में सिंचाई योजना का कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है उन जिलों को सिंचाई योजना कार्यक्रम से जोड़ने हेतु निदेश दिया गया।

7. निदेश दिया गया कि स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण माह–जून, 2018 तक पूरा कर लिया जाय तथा स्वायल कार्ड हेल्थ के वितरण हेतु सेम्पल के हिसाब से कार्ड की छपाई करा ली जाय एवं कार्ड वितरण का जिम्मा किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को सौंपी जाय।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

11.7.18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–10/18 – 3758 **पटना, दिनांक :–** 12-7-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, प्रशासन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.7.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–10/18 – 3758 **पटना, दिनांक :–** 12-7-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.7.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।